कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू।

(जिला विकास शाखा)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G) अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी सूचना।

जिला स्तर पर

क्र0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (जिला स्तरीय)	अनारक्षित– 1	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषयमें इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA)। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने की तिथि के बाद एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अग्रेंजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड स्तर पर

क्र0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तरीय)	अनारक्षित– 01 अनु0जा0– 01 अनु0 ज0 जा0– 02 पिछड़ा वर्ग(BC- II)–01	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA)। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने की तिथि के बाद छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अग्रेंजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
		कुल – 05	

आवेदकों को Online विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक 17/09/2022 से 27/09/2022 तक भरा जायेगा।

ह0/–
उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक :– 1000 /वि0, दिनांक :– 15-09-22

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त सूचना को जिले के वेबसाईट www.palamu.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त सूचना का प्रकाशन विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित करेंगे।

14/9/22

उपायुक्त, पलामू।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू।

(जिला विकास शाखा)

विज्ञापन प्रारूप

1. पद का नाम :– प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G) अन्तर्गत जिला स्तरीय लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखण्ड स्तरीय लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर

2. पदों की संख्या (रोस्टर के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की संख्या) :–

क्र0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति					मासिक मानदेय
			अनारक्षित	अ0जा0	अ0ज0जा0	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	
1	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (जिला स्तरीय)	01	01	00	00	00	00	15000/–
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तरीय)	05	01	01	02	00	01	10000/–

3. शैक्षणिक योग्यता :–

लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर :– (जिला स्तरीय)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA)। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने की तिथि के बाद एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अग्रेंजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर :– (प्रखण्ड स्तरीय)

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA)। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करने की तिथि के बाद छः माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अग्रेंजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

4. आयु सीमा :– लेखापाल–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर (जिला स्तरीय) – 18 से 30 वर्ष
लेखापाल–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर(प्रखण्ड स्तरीय) – 18 से 30 वर्ष
उम्र की गणना 01.06.2022 के आधार पर की जायेगी।

5. आरक्षण :– (क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर सें दिनांक 02.06.2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।

(ख) आरक्षण का दावा करने हेतु आरक्षण कोटि का प्रमाण पत्र जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।

6. पात्रता :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3849, दिनांक–10.08.2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।

7. रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बंध के सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का अधिसूचना ज्ञापांक 1016 दिनांक 01.03.2017, पत्रांक 1192 एवं 1193 दिनांक 09.03.2017 तथा सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4603 दिनांक 24.12.2021 में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।

8. विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर आवेदकों को Online आवेदन करना है। आवेदक सम्पूर्ण वांछित दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन दिनांक ..... 17/09/2022 से 27/09/2022 तक भरा जायेगा।

उपायुक्त, पलामू।